न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 61/24 GCMS NO 2024/137

1. मु0सुमन पत्नि रामधरम
2. वती पुत्री रामधरम
3. रति पुत्री रामधरम
4. गौरव पुत्र रामधरम नाबालिंग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुमन पत्नि रामधरम जातियान गुर्जर निवासीयान ढाणी सैनपुर कमलापुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली हाल जिला करौली
5. कमला पुत्री रघुनाथ पत्नि विकय जाति गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा हाल वासी खेडी मंडीली तहसील मासलपुर जिला करौली
6. रूपबाई पुत्री रघुनाथ पत्नि गोविन्द जाति गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा हाल वासी जयसिहपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
7. रमेश
8. गिरधारी
9. रामकेश
10. यादराम
11. संतोष पिसरान रघुनाथ जातियान गुर्जर निवासी ढाणी सैनपुर कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

वनाम

1. भगवानी देवी पत्नि अतर सिंह
2. लखन बाई पत्नि कल्याण सिह जातियान गुर्जर निवासी चन्दवाड तहसील टोडाभीम जिला करौली
3. तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 31/17 निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 13.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री सीताराम गुर्जर
अभिभाषक रैस्पो0 श्री मनोज कुमार शर्मा

दिनांक 05.01.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 13.8.24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा वाद पत्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कमालपुरा स्थित आराजी ख0न0 2477 रकबा 1.90, 2479 रकबा 0.50 है0 कुल 2 किता रकबा 2.40 है0 मे वादी संख्या 1 बहिस्सा 1/3 वादी संख्या 2 बहिस्सा 1/3 तथा प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा 1/3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदार काश्तकार है। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 का कोई सबंध किसी प्रकार का नही है। उक्त आराजी ख0न0 2477 व 2479 रकबा 2.40 है0 पूर्व मे कजोड,रामसिह पिसरान किशन्या हिस्सा 2/3 तथा राजाराम,जनक,हरिसिह पिसरान रामजीलाल, रूकमणी पुत्री रामजीलाल, घीसी पत्नि रामजीलाल के नाम थी। जिसके द्वारा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त आराजी का बेचान कर कब्जा संभलाया है जो रास्ते के सहारे खडी हिस्सो मे वटी हुई है। जिससे तीनो खातेदारान रास्ते का उपयोग उपभोग कर सके। वादी संख्या 1 के हिस्से मे दक्षिण का हिस्सा है। प्रतिवादी न0 2 ता 6 लठैत गिरोह बंद व्यक्ति है जो प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3 हिस्से की खातेदारी का बेजा फायदा उठाकर वादीगण को अपनी आराजी से बेदखल करने तथा सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करने का प्रयास करते रहते है तथा झूठे मुकदमो मे फसाने की धमकी देते रहते है। जबकि उनका 1/3 हिससे की आराजी के अलावा अन्य आराजी से संबंध किसी प्रकार का नही है। दिनांक 21.4.17 को प्रतिवादीगण एक राय होकर आराजी पर ट्रेक्टर मे पत्थर भरकर लाकर पत्थरो को आराजी के बीचो बीच डालने लगे तो वादीगण ने मना किया कि तुम्हारा हिस्सा पश्चिम की तरफ है तुम उसमे पाटोर डालो नही तो पहले चलकर बंटवारा करा लो , इस सुनते ही प्रतिवादीगण आग बबूला हो गये तथा कहा कि ना तो बंटवारा करायेगे ना ही तुम्हे अर्थात वादीगण को काश्त करने देगे। इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि आराजी ख0न0 2477 व 2479 कुल रकबा 2.40 है0 वाके ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली मे वादीगण बहिस्सा 2/3 के खातेदार काश्तकार है एवं दावा खिलाफ प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर उक्त आराजीयात मे कब्जे व हिस्से अनुसार बंटवारा स्कीम जरिये मौका कमिश्नर तलब की जाकर वाद जॉच फाईनल डिकी किया जावे तथा उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अगल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त व हिस्से मे किसी प्रकार की मदालखत नही करे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वार चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि निर्णय व डिकी जैर अपील अधिनस्थ न्यायालय विधि एवं नियम विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत वाद बाबत इस्तकरार हक तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञ की दादरसी के लिए मु0न0 31/17 के साथ प्रतिवादीगण/अपीलांट के वाद मु0न0 66/17 को हमफीता कर कानूनी भूल की है। जबकि दोनो ही वादो मे पक्षकार व वादकारण अलग अलग है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद मु0न0 66/17 व उत्तरवाद के आधार पर कोई विवाधक कायम नही किये गये। महज वादीगण/रेस्पो0 न0 1 व 2 की और से प्रस्तुत वाद मु0न0 31/17 मे वर्णित कथनो के आधार पर विरचित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

विवाधको के आधार पर ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो काबिजे निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री मे तथाकथित विकय पत्र दिनांक 28.3.17 व एक पक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर विवादित आराजी के 2/3 भाग पर रेस्पो0/वादीगण का कब्जा मानते हुए अहम कानूनी भूल की है। रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 28.3.17 को बिना बैध प्रतिफल प्राप्त किये व बिना कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही के किये गये है जो कि प्रारंभ से ही नल एण्ड बोईड है एवं मौका रिपोर्ट अपीलार्थीगण /प्रतिवादीगण की गैर मौजूदगी मे राजस्व कर्मचारियो से साज कर तैयार कराई गई है। जिसे साबित भी नही कराया गया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेज प्रदर्श 2,3,7,8,9 पर विश्वास कर विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो काविले मंसूखी है। विवाधक संख्या 1 व 2 को रेस्पो/वादीगण किसी भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही कर पाये है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विधि अनुसार विवेचन व मनन किये बगैर उक्त विवाधको को बहक रेस्पो0/वादीगण साबित होना मानकर अहम कानूनी भूल की है। विवाधक संख्या 3 व 4 को अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने दोनो विवाधको का निर्णय विरूद्व अपीलार्थी/प्रतिवादीगण तय करने मे अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण निर्णय व डिक्री जैर अपील मे रेस्पो0 द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत वाद मु0न0 31/17 पर ही प्रकाश डाला है और उसी आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो काविले मंसूखी है। विवादित आराजीयात पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है जिसमे दो बोर लगे हुए है जिन पर अपीलार्थी के नाम बिजली कनेक्शन है। मौजूदा मे अपीलार्थीगण द्वारा काश्त करने से फसल सरसब्ज खडी हुई है। कब्जे के अभाव मे दावा वादीगण कानूनन मेन्टेवल नही होने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान की है जो काविले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य को रेस्पो/वादीगण की और प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के मुकाबले कम महत्व दिया जाकर व अपीलाट/प्रतिवादीगण की साक्ष्य को अनदेखा कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो काविजे मंसूखी है। इसी प्रकार अपीलांट की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो अवलोकन नही किया तथा निर्णय मे उनका हवाला भी नही दिया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय लीगली निर्णय व स्पीकिंग आर्डर नही होने से डिक्री के बाबत स्पष्टीकरण नही दिये जाने से निरस्त येाग्य है। विवादित आराजी खसरा न0 2477 रकबा 1.90 है0 व खसरा न0 2479 रकबा 0.50 है0 कुल रकबा 2.40 है0 ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम पर अपीलांटगण का विगत 50 वर्षो से लगातार कब्जा होने के आधार पर धारा 63 आर टी एक्ट के तहत स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय ने दावा वादीगण खारिज करने मे अहम भूल की है। वादिया भगवानी देवी ने अपने बयान मे जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि ... जमीन को मौके पर पॉच खेत बना रखे है उक्त पांचो खेत दो दो बीघा के बना रखे है ... बीघा जमीन का एक चक है। एक चक मे से पांच हिस्से है। जिनकी अलग अलग जोत ... रही है। रघुनाथ के पास विवादित जमीन उसके साले से आई है। इससे साबित है कि अपीलार्थीगण का विवादित जमीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कब्जा काश्त है। और उनका पांच हिस्सो मे बटा हुआ भाग है। वादिया लखनवाई ने जिरह मे बयान किया है कि मै विवादित भूमि के खसरा न0 नही जानती हूँ भूमि को रघुनाथ बटाई पर खेती करते है। विवादित जमीन मे दो गह दुपल्ला और 6 गह मुण्डा बनी हुई है। गवाह अतरसिह ने जिरह के दौरान स्वीकार किया है कि जिस समय लखनवाई, भगवानी को रजिस्ट्री कराई थी उस समय सम्पूर्ण जमीन को रघुनाथ बटाई पर काश्त करता था। इससे विदित है कि सम्पूर्ण जमीन पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधि एवं नियम विरूद्व निर्णय व डिक्री और अपील पारित की है। जो काबिले मंसूखी है। अपीलार्थीगण व रेस्पो0 के मध्य उपजे विवाद पर रेस्पो/वादीगण द्वारा कतई गलत व बनावटी तथ्यो के आधार पर अपीलार्थीगण के विरूद्व दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा होने व मामला झूठा होने से बाद तफतीश पुलिस ने नकारात्मक रिपोर्ट पेश की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.8.24 को मंसूख फरमाया जाकर वादीगण/रेस्पो0 मु0न0 31/17 उनवानी भगवानी देवी बनाम रघुनाथ आदि स्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का बहस के दौरान कथन रहा कि ग्राम कमालपुरा स्थित आराजी ख0न0 2477 रकबा 1.90, 2479 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.40 है0 मे रेस्पो/वादी संख्या 1 बहिस्सा 1/3, वादी संख्या 2 बहिस्सा 1/3, तथा प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा 1/3 के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी की पूर्व मे 1/3 हिस्से की खातेदारी राजाराम,जनक,हरिसिह पिसरान रामजीलाल, रूकमणी पुत्री रामजीलाल, घीसी पत्नि रामजीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। उक्त व्यक्ति पूर्वजो के समय से काबिज काश्त रहे है। जिनको अपनी पारिवारिक समस्याओ के समाधान के लिए रूपयो की जरूरत होने पर उक्त आराजी अपने 1/3 हिस्से की आराजी को बहक वादी संख्या 1 दिनांक 28.3.17 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र सेलडीड विकय कर दिया इसी प्रकार उक्त आराजी मे 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार कमोद ने अपने 1/3 हिस्से की आराजी को दिनांक 28.3.17 को वादी संख्या 2 को विकय कर दिया और उसी दिन वादी संख्या 1 व 2 को मौके पर पूर्वानुसार हो रहे बाहमी बंटवारा अनुसार ही कब्जा करा दिया। इस प्रकार उक्त आराजी के 2/3 हिस्से से प्रतिवादी/अपीलांटगण या अन्य किसी का कोई संबंध वास्ता नही है। विकय दिनांक से आज तक वादी संख्या 1 व 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि रामजीलाल के वारिसान या कमोद या उनके पिता किशन्या ने वादी को कभी कोई आराजी विकय नही की है ना ही इस बाबत कोई दस्तावेज अधिनस्थ न्यायालय ने पेश किया है ना ही न्यायालय हाजा मे पेश किया है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 66/17 व 31/17 को हमफीता कर कानूनी भूल की है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति होने एवं वादकारण एवं वादग्रस्त आराजीयात समान होने के कारण दोनो वादो को हमफीता किया गया है। इसी प्रकार अपीलाट अधिवक्ता का यह कथन झूठा है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रतिवादीगण की साक्ष्य का विवेचन नही किया है जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर पूर्ण रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात से अपीलाटगण/प्रतिवादीगण का कोई संबंध किसी प्रकार का नही है केवल कहने मात्र से कब्जा सिद्व नही होता है जबकि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो0 का खरीद के समय से निर्वाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी प्रकार अपीलांट अधिवक्ता यह कथन भी मिथ्या है कि क्रय शुदा आराजी बिना प्रतिफल प्रदान किये क्रय की गई है जबकि वादीगण/रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त आराजीयात मे से 2/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिफल दिया जाकर क्रय किया है। इस प्रकार वादीगण अपने हिस्से के बोनाफाईड परचेजर है क्रेता खातेदार को उसके अधिकारो से वंचित नही किया जा सकता है। जहॉ तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे का सबंध है तो पत्रावली मे उपलब्ध प्रदर्श 7 लगायत 9 मे वादीगण का कब्जा स्पष्ट साबित है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे माना है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट विगत 50 वर्षो से काबिज काश्त है। यहॉ यह तथ्य समाचीन है कि केवल मात्र कब्जे के आधार पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं मौका रिपोर्टो का भली भॉति अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलांट द्वारा निराधार आधारो पर अपील पेश की गई है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा न0 2477 व 2479 वाके ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम की खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 मे राजाराज,जनक,हरिसिह पिसरान रामजीलाल , रूकमणी पुत्री रामजीलाल, घीसी बेवा रामजीलाल हिस्सा 1/3 , कमोद,रामसिह पिसरान किसल्या हिस्सा 2/3 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 के 1/3 हिस्से के खातेदार राजाराम,जनक, हरिसिह पिसरान रामजीलाल, रूकमणी पुत्री रामजीलाल ,घीसी बेवा रामजीलाल द्वारा प्रतिवादीयां/रेस्पो0 भगवानी देवी पत्नि अतर सिह गुर्जर को अपना हिस्सा 1/3 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.3.17 को बेचान किया गया है इसी प्रकार खातेदार कमोद पुत्र किशन्या द्वारा अपना 1/3 हिस्सा प्रतिवादियां/रेस्पो0 लखन बाई पत्नि कल्याण सिह जाति गुर्जर को बेचान किया गया है। जिसका अमल दरामद जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 मे हो गया। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 मे वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादिया/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम 1/3, 1/3 हिस्सा एवं रधुनाथ पुत्र गंगाधर के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आरजीयात सहखातेदारी मे दर्ज रही है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उत्तरवाद के आधार पर कोई विवाधक कायम नही किये है महज वादीगण/रेस्पो0 न0 1 व 2 की और से प्रस्तुत वाद मे वर्णित कथनो के आधार पर विरचित विवाधको के आधार पर ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर ... अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से दावा एवं जबाव दावा के आधार पर ... वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्यो ... जाने के उपरान्त ही तनकीयात का निर्णय किया गया है। तनकी संख्या 1 व 2 को वादीगण ... करने सफल रहे है तथा तनकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3 व 4 को प्रतिवादीगण द्वारा अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित नही करा सके है। इसलिए तनकी संख्या 3 व 4 को प्रतिवादीगण के विरूद्व विधिवत रूप से निर्णित की गई है। जहां तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे का प्रश्न है तो प्रदर्श 7 ता 9 से वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा साबित होता है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा हो इस बाबत पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो दावे समान पक्षकार एवं वादग्रस्त आराजीयात समान होने के कारण हमफीता किया जाकर तनकीयात का विस्तृत रूप से विवचेन करते हुए तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिकी पारित की गई है। पत्रावली मे उपलब्ध बंटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि बंटवारा स्कीम मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर विधिवत रूप से तैयार की गई है। जिसमे हिस्से अनुसार हिस्सा दिया गया है। इस प्रकार बंटवारा स्कीम मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि सामने नही आती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही विधिक रूप से पारित की है, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नजर नही आने तथा उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 31/17 मे पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 13.8.24 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2026.04.16 15:27:31 IST
Reason: SelfAttested